

Recommendation of DFO

1. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि 2.6589 हेठो वन परिक्षेत्र कर्थुआ का कक्ष क्र0 RF 849 आरक्षित वनभूमि है एवं PF 844 संरक्षित वनभूमि है। वन परिक्षेत्र चितरंगी का कक्ष क्र0 RF 47, 46, 45, 43, 42, 28, 27, 24, 08 आरक्षित वनभूमि है एवं PF 889, 06, 04, 01 संरक्षित वनभूमि है।
2. वन मण्डल सिंगरौली अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि 2.6589 हेठो वन संरक्षण अधिनियम 1980(2) नियम 2003 के तहत महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित परियोजना ईठो सिंगरौली, ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वन भूमि पर पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है।
3. वन मण्डल सिंगरौली अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि कक्ष क्र0 RF 16, 19, 796, 802, 38, 43, 44, 12 एवं PF 837 वन मण्डल के प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार हाथी कॉरीडोर में सम्मिलित है।
4. वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कॉरीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-
 - (अ) 2.47 (9)-कॉरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कॉरीडोर की निरन्तरता में व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थाई भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेवर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे।
 - (ब) 2.47 (10)-कॉरीडोर में स्थित कक्षों को यथासंभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तानांतरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यंभावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कॉरीडोर की स्थापना की जाये।
5. कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1-18) का पालन सुनिष्चित करने की शर्त पर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। एवं अनाधिकृत अतिक्रमित क्षेत्र में पानी की पाइप लाइन बिछाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

↑
(मधु व्ही. राज)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली